कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / माध्य / स्थिरी–अ / 34851 / 2017 दिनांकः 23.08.2018

प्रतिलिपि :–शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर का पत्रांक प.7 (53) शिक्षा–2 / 2018 जयपुर दिनांक 13.08.2018 की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा,राजस्थान–बीकानेर ।
3. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक ।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक ।
5. सहायक निदेशक, संस्थापन ए–बी, सी, एफ अनुभाग
6. अनुभाग अधिकारी, शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशन हेतु ।

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Radheshyam Ji

1253

F.A.
मा० स्थिरी ब/220
20-8-18

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक-प. 7(53)शिक्षा-2/2018

जयपुर, दिनांक : 13/08/2018

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 के मध्य रनिंग पे-बैण्ड एवं ग्रेड-पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से वेतन नियतन करने एवं उनकी वसूली करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक-शिविरा/माध्य/स्थिरी-ब/34851/2017 दिनांक 25.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 के मध्य रनिंग पे-बैण्ड एवं ग्रेड-पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से वेतन नियतन करने एवं उनकी वसूली करने के सम्बन्ध में चाहे गये मार्गदर्शन के सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि 'राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008' की अनुसूची-V में दिनांक 01.07.2013 से निर्धारित किया गया प्रारम्भिक वेतन उन कर्मचारियों को देय था, जिनके द्वारा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि दिनांक 01.07.2013 या इसके बाद सफलतापूर्वक पूर्ण की गई हो। अतः जो कर्मचारी दिनांक 01.07.2013 से पूर्व ही प्रोबेशनर ट्रेनी पूर्ण कर पद का वेतन प्राप्त कर रहे थे, उनका संशोधित ग्रेड-पे के अनुसार वेतन निर्धारण उक्त नियमों के नियम-28 के प्रावधानानुसार किया जाना था। नियम-28 के स्थान पर दिनांक 01.07.2013 से संशोधित अनुसूची-V में निर्धारित प्रारम्भिक वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाना त्रुटिपूर्ण था और इस त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण ही अधिक भुगतान की गई राशि को वूसल किया जाना है।

उक्त मार्गदर्शन 'वित्त (नियम) विभाग' की आई.डी. संख्या-121800102 दिनांक 06.08.2018 द्वारा प्राप्त कर प्रदान किया जा रहा है।

भवदीय,
10.8.18

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव-शिक्षा

www.rajteachers.com

D:\Raj Gos 2014-18\Rameshwar Ji\S E - Gen Cases\Letters.doc